उद्योगों की समस्याओं के निस्तारण से जुड़े निर्णय समय से लागू करें

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने निर्देश दिए कि नए साल में समस्याओं के निवारण से संबंधित बैठकों में निस्तारित प्रकरणों पर लिए गए अंतिम निर्णयों को समयबद्ध रूप से लागू किया जाए। सम्बंधित विभागों के अधिकारी बैठकों में पूरी तैयारी से आएं एवं सुनिश्चित करें कि उद्योगों के प्रकरणों को अनावश्यक रूप से विलम्बित नहीं किया जाए।

मुख्य सचिव ने सोमवार को उद्यमियों की समस्याओं के सम्बंध में इन्वेस्ट यूपी की उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 50 एकड़ से बड़े भूखण्डों के रख-रखाव शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए नई नीति जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही इसी माह में पूरी कर ली जाए। यह निर्देश मैसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड गोरखपुर के प्रकरण के समाधान के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा को दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप गीडा में क्रियाशील अनेक इकाइयों को लाभ होगा। मैसर्स जेआरजी फू ड्स के मण्डी शुल्क में छूट से सम्बंधित प्रकरण में बताया गया कि भविष्य में मण्डी शुल्क में छूट के प्रकरणों में कर की दर में कमी किये जाने के प्राविधान को समाप्त कर दिया गया है। उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत समस्त पात्र इकाइयों को मण्डी शुल्क में 5 वर्ष तक पूर्ण छूट मिलेगी। मेसर्स सदाहारी शक्ति प्राइवेट लिमिटेड फतेहपुर के पूर्व इकाई के लम्बित विद्युत बिल के प्रकरण में निर्णय किया गया कि नियमों के अन्तर्गत अथवा जिलाधिकारी द्वारा उद्योग विभाग, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों अथवा निजी स्रोतों से प्राप्त भूमि पर स्थापित डिफॉल्टर इकाई की नीलामी करने पर पूर्व इकाई के देयों के लम्बित होने की दशा में नीलामी में क्रय की गई इकाई पर बकाया विद्युत देयों की वसूली क्रेता इकाई से न कर, पूर्व इकाई तथा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं से की जानी चाहिए। इस सम्बंध में मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि पुरानी इकाई के विक्रय या स्थानांतरण से पूर्व क्रेता के समस्त देयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने के लिए शासनादेश निर्गत किया जाए। एसीएस ऊर्जा अरविंद कुमार ने बताया कि विद्युत विभाग के बकाएदारों की सूची आनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई। अतः नीलामी अथवा विक्रय करने वाली संस्थाएं नीलामी करने से पूर्व ही पुरानी इकाई पर लम्बित देयों की सूचना प्राप्त कर सकती हैं।